

डिक्री मुकदमें इत्यादी  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 280/2025

1. भीमसेन पुत्र जगदीश पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. मैनपाल पुत्र राजेन्द्र पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. कमला देवी पुत्री मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. राजेन्द्र पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रामेति पुत्री मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. लिक्षमा पुत्री मोटाराम जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणी चक 17 एम.जे.डी. इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनकिशान कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगणा मिन जामिन मुदई श्री संजीब विश्नाई वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 17 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत 2073-2075 के खाता सं. 125/118 मे प्रतिवादी सं. 2 जगदीश के नाम दर्ज 2125/5566 में से 0.270 है0 व प्रतिवादीगण सं. 3 के नाम दर्ज 1189/5566 मे से 0.270 है0 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1. कमलादेवी, 4. रामेती व 5. लिक्षमा के नाम दर्ज समस्त हिस्सा के वादीगण ब.हि.व. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं चक 17 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत 2073-2075 के खाता सं. 125/118 से प्रतिवादी सं. 1 जगदीश का 0.270 है0 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 राजेन्द्र का 0.270 है0 हिस्सा कम करने तथा प्रतिवादी सं. 1. कमलादेवी, 4. रामेती 5. लिक्षमा का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय

शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।

बसवत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....12.6.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

